कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक–930 / 14–1, दिनांक, मुरादाबाद, सितम्बर 20, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विशय :– रामपुर में पिपलया मिश्र से तीनपानी मुण्डिया कलां–कमुआ–केमरी मार्ग किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 की दायीं पटरी पर ग्राम नारायण नंगला के खसरा संख्या–238 पर इण्डियन आयल कार्पो0 लि0 बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.07758 (**संशोधित 0.088768 है0**) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या– 488 / रामपुर / 27070 / 2017 दिनांक 18.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में आप द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की है। अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर से प्राप्त आख्या / संशोधित प्रस्ताव की 2 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है :–

Observation No.	Observation Of Nodal	Reply
1.	प्रस्तावित वन भूमि की गणना अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार नही है। मध्य भाग की गणना मार्ग के किनारे से निजी भूमि की दूरी 16.30 के स्थान पर 12.0 मी0 के अनुसार की गयी है जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित गणना के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव को आनलाइन व आफलाइन संशोधित करे।	प्रभावित वन भूमि की गणना अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार कर दी गयी है। जो प्रस्ताव के **पृष्ठ संख्या–27** पर संलग्न है। प्रस्ताव के मध्य भाग की गणना 16.30 X 26.00 के आधार पर की गयी है। संशोधित गणना के अनुसार आनलाइन एवं आफलाइन फार्म –ए ,बी संशोधित कर दिये गये है।
2.	प्रस्ताव के साथ संलग्नक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उपरोक्त बिन्दु–1 के आलोक में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन अपलोड करें तथा प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोट पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करा दिये गये है।जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–28 पर संलग्न है।
3.	ऑनलाइन पार्ट–2 में महत्वपूर्ण अभिलेख यथा, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चिन्हित वन स्वरूप प्रमाण–पत्र वन भूमि / गैर वन भूमि की गणना, गजट नोटिफिकेशन, क्षतिपूरक वनीकरण व एन0पी0वी0 जमा करने की वचनवद्धता, स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति, अनुमोदित ले आउट प्लान , मक डिस्पोजल प्लान आदि अपलोड नहीं है। उपरोक्त बिन्दु–1 के आलोक में समस्त अभिलेखों को संशोधित कर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाइन–पार्ट–2 के Additional Information Details में अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	आनलाइन पार्ट–2 में वान्छित / महत्वपूर्ण अभिलेख अपलोड कर दिये गये है।
4	जस्टीफिकेशन लेटर में भी मध्य भाग की चौड़ाई 16.30 के स्थान पर 12 मी0 अंकित किया गया है। उपरोक्त बिन्दु–1 के आलोक में प्रमाण–पत्र को संशोधित कर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	जस्टीफिकेशन संशोधित कर ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है।

क्रमशः –2

5	उपरोक्तानुसार सूचनाओं एंव अभिलेखों को पूर्ण कर क्रमवार पृष्ठ सं0 एंव तदनुसार विषय सूची को ठीक करने का कष्ट करें।	विषय सूची क्रमवार पूर्व की भॉति यथावत है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को उनके पत्रांक–783/14–1,दिनांक 18–09–2017 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेष लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।